यह योजना
1 फरवरी, 2017 से
प्रवृत होगी और
31 मार्च, 2017
तक प्रवृत रहेगी।

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

आमसूचना

सम्पत्तिकर प्रोत्साहन (ब्याज एवं शास्ति में छूट) योजना 2017

सम्पत्तिकरदाता ध्यान दें

अधिसूचना सं 569 दिनांक 27.01.2017 के माध्यम से बिहार सरकार द्वारा सम्पत्ति मालिकों को बिना ब्याज और दंड के अपने संपत्ति कर के सभी बकाये के निपटारे हेतु अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से एक आम माफी योजना शुरू की गई है।

1

योजना :

(क) सभी सम्पत्ति धारक/अधिभोगी के दिनांक 31 मार्च, 2013 तक के ब्याज की माफी।

(ख) बिहार नगरपालिका सम्पत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली, 2013 की धारा 14 के अंतर्गत अनिर्धारित सम्पत्ति धारकों के कर के भुगतान में असफलता पर लगने वाली (2000 रुपया आवासीय सम्पत्ति पर एवं गैर आवासीय पर देय 5000 रुपया) शास्ति की माफी।

2

योजना का लाभ जिन्हें नहीं मिलेगा :

(क) यदि कोई कर दाता इस योजना के प्रभावी रहने की अवधि में संपत्ति कर बकाया की पूरी राशि का भुगतान नहीं कर पाते है।

(ख) 31 मार्च, 2013 के बाद के बकाया के ब्याज पर कोई छूट नहीं मिलेगी।

(ग) इस योजना के लागू होने की तिथि के पूर्व किए गए सभी भुगतान इस छूट के दायरे से बाहर रहेंगे ।

3

योजना से लाभ प्राप्त करने का तरीका :

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार के विशेष आवेदन दिये जाने की आवश्यकता नहीं है। संबंधित नगरपालिका/नागरिक सुविधा केंद्र/वेबसाइट https://nagarseva.bihar.gov.in में से किसी भी स्थान पर स्व कर निर्धारण आधार पर एक मुश्त पूर्ण भुगतान करने पर इस छूट का लाभ प्राप्त हो जाएगा।

विस्तृत जानकारी नगर विकास एवं आवास विभाग के वेबसाइट http://urban.bih.nic.in/ पर प्राप्त की जा सकती है